इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी 2018—माघ 24, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्र. 2729-33-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 फरवरी 2018 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१८

मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, २०१७

[दिनांक ७ फरवरी, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ फरवरी, २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७८ को निरसित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

२. (१) मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७८ (क्रमांक ३२ सन् १९७८) निरसित हो जाएगा.

(२) निरसन से—

(क) किसी अन्य अधिनियमिति जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई हो, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई हो; अथवा

(ख) किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व जो निरसित अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो; अथवा

(ग) निरसित अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात के परिणामों; अथवा

(घ) निरसित अधिनियमिति के विरुद्ध कारित किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण अथवा दण्ड,

पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्र. 2729-33-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 7 OF 2018

THE MADHYA PRADESH SAHAYATA UPKRAM (VISHESH UPABANDH) NIRSAN ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 7th February, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th February, 2018.]

An Act to repeal the Madhya Pradesh Sahayata Upkram (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1978.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sahayata Upkram (Vishesh Upabandh) Nirsan Adhiniyam, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

Repeal and saving.

2.(1) The Madhya Pradesh Sahayata Upkram (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1978 (No. 32 of 1978) shall stand repealed.

(2) The repeal shall not affect-

(a) any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to ; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed enactment; or

(c) the previous operation of the repealed enactment or consequences of anything already done or suffered thereunder; or

(d) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the repealed enactment.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.